UPBN010082742018

Presented on : 30–08–2018
Registered on : 30–08–2018
Decided on : 20–07–2026
Duration : 7 years, 10 months, 21 days

IN THE COURT OF

A.D.AND S.J./SPL JUDGE (GANGSTER ACT) COURT NO.6, BUDAUN

AT , Budaun

Presided Over by RISHI KUMAR, (H.J.S) JO Code UP6364

Spl. Case No. 61/2018

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

संदीप वर्मा पुत्र सिद्धगोपाल वर्मा

निवासी मौ० पटियाली सराय, थाना–कोतवाली शहर व जिला बदायूँ।

.....................अभियुक्त।

अपराध संख्या–694/2017,

धारा–2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज

विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम, 1986

थाना–कोतवाली, जिला–बदायूँ।

निर्णय

1. थाना कोतवाली, जिला बदायूँ द्वारा अभियुक्त संदीप वर्मा के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–694/2017 में आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा–3 सपठित धारा 2 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है। निर्णय में सुगमता की दृष्टि से निर्णय में आगे उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 को गैंगस्टर्स अधिनियम भी लिखा गया है।

2. संक्षिप्त अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियुक्तगण संदीप वर्मा व सिद्धगोपाल वर्मा के विरुद्ध गैंगस्टर्स अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट गैंगचार्ट के जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के पश्चात पंजीकृत की गयी, जिसमें उल्लिखित किया गया कि वादी /एस.एच.ओ. अजय कुमार यादव मय हमराह कां० 1125 मोहिन चौहान, कां० 658 कौशल कुमार मय जीप सरकारी नं० यू०पी० 24 जी० 0302 मय कां० चालक चन्द्रशेखर व हवाले रपट नं० 46 समय–20:10 बजे रवाना होकर के देखरेख शान्ति व्यवस्था व भ्रमण नगर निकाय चुनाव व

तलाश वांछित अपराधी व अपराध नियंत्रण व श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के कार्यालय से अनुमोदितशुदा गैंगचार्ट गैंग लीडर संदीप वर्मा पुत्र सिद्धगोपाल वर्मा नि० मौ० पटियाली सराय, थाना कोतवाली, बदायूँ तथा इसके सदस्य सिद्धगोपाल वर्मा पुत्र श्यामलाल वर्मा नि० मौ० पटियाली सराय, थाना कोतवाली, बदायूँ। गैंग लीडर संदीप उपरोक्त ने अपने साथी के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए धन अर्जित करते हैं। यह इनका एक संगठित गिरोह बना रखा है। धोखाधड़ी कर धन हड़पने एवं जान से मारने का प्रयत्न सम्बन्धी जघन्य अपराध कारित करके अपने निजी स्वार्थ के लिए धन अर्जित करते हैं, जो कि भा०दं०वि० के अध्याय 16 व 17 व 22 में वर्णित दण्डनीय अपराध हैं। इनका जनता में भय व्याप्त है। इनके भय व आतंक के कारण जनता के लोग गवाही देने में तथा पुलिस में सूचना देने से डरते हैं। इनका जनता में स्वतन्त्र रहना जनहित में नहीं है। इनके विरुद्ध उ०प्र० समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 गैंगस्टर्स एक्ट में कार्यवाही होना अति आवश्यक है, ताकि जनता व व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। गैंग के गैंग लीडर व सदस्य का आपराधिक इतिहास इस प्रकार है——

गैंग लीडर संदीप वर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः–

(1) मु०अ०सं०–572/16 धारा 406/323/504/506 आईपीसी,

(2) मु०अ०सं०–772/16 धारा 406/420/504/506 आईपीसी,

(3) मु०अ०सं०–506/17 धारा 307/406/504/506 आईपीसी।

आपराधिक इतिहास सिद्धगोपाल वर्मा उपरोक्तः–

(1) मु०अ०सं०–572/16 धारा 406/323/504/506 आईपीसी,

(2) मु०अ०सं०–772/16 धारा 406/420/504/506 आईपीसी,

(3) मु०अ०सं०–506/17 धारा 307/406/504/506 आईपीसी।

अतः अनुमोदनशुदा गैंगचार्ट के अनुसार उक्त गैंग के विरुद्ध उ०प्र० समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 गैंगस्टर्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया जाये।

3. वादी मुकदमा श्री अजय कुमार यादव, तत्कालीन एस.एच.ओ., थाना कोतवाली द्वारा दी गयी उपरोक्त आशय की जुबानी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली, जिला बदायूँ पर अभियुक्तगण संदीप वर्मा व सिद्धगोपाल वर्मा के विरुद्ध धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया और दौरान विवेचना अभियुक्त सिद्धगोपाल वर्मा की मृत्यु दिनांक 29–11–2017 को हो गयी, जिस कारण उसका नाम विवेचना से पृथक किया गया। विवेचक द्वारा तमामी विवेचना के उपरान्त अभियुक्त संदीप वर्मा के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर दिनांक 30–08–2018 को संज्ञान लिया गया।

RISHI KUMAR (UP6364)

4. अभियुक्त संदीप वर्मा के विरुद्ध दिनांक 23–01–2019 को उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 3 सपठित धारा 2 का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया एवं विचारण की मांग की।

5. सम्पूर्ण विचारण के प्रक्रम में अभियोजन द्वारा साक्षीगण पी०डब्लू० –1 सुभाष चन्द्र शर्मा, पी०डब्लू०–2 कां० संजीव कुमार, पी०डब्लू०–3 वैभव शर्मा, पी०डब्लू०–4 निरीक्षक अजय कुमार यादव वादी मुकदमा, पी०डब्लू०–5 देवेश सिंह विवेचक/सहायक पुलिस आयुक्त की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गयी और निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए और साबित कराये गये।

क्रम सं0	प्रपत्र	प्रदर्श	साबित करने वाले साक्षी का नाम
1	अ०सं०–694/17 की प्रथम सूचना रिपोर्ट	क–1	पी0 डब्लू–2 कां० सजीव कुमार चिक लेखक
2.	जी०डी० सं०–50 दिनांक 14–11–17 की प्रति	क–2	पी0 डब्लू–2 कां० सजीव कुमार चिक लेखक
3.	गैंगचार्ट	क–3	पी0 डब्लू–4 अजय कुमार यादव निरीक्षक/वादी
4.	अ०सं०–694/17 में प्रेषित आरोप पत्र की सत्यप्रति	क–4	पी0 डब्लू–5 देवेश सिंह सहायक पुलिस आयुक्त
5	अभियोजन अनुमति	क–5	पी0 डब्लू–5 देवेश सिंह सहायक पुलिस आयुक्त
6.	अ०स०–572/16 की F.I.R.	क–6	अभियुक्त द्वारा धारा –294 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत औपचारिक मौलिक सत्यता स्वीकार।
5.	अ०स०–572/16 में प्रेषित आरोप पत्र	क–7	
3.	अ०स०–772/16 की F.I.R.	क–8	
4.	अ०स०–772/16 में प्रेषित आरोप पत्र	क–9	
5.	अ०स०–506/17 की F.I.R.	क–10	
6.	अ०स०–506/17 में प्रेषित आरोप पत्र	क–11	

6. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–1 सुभाष चन्द्र शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसके पड़ोस में संदीप वर्मा पुत्र सिद्धगोपाल वर्मा व सिद्धगोपाल वर्मा पुत्र श्यामलाल वर्मा रहते हैं। अभियुक्त संदीप वर्मा व सिद्धगोपाल वर्मा ने उसके घर आकर वर्ष 2013 में अपनी जरूरत का वास्ता देकर उससे डेढ़ लाख रुपये उधार मांगे थे। दोनों मुल्जिमानों को उसने साक्षी गजेन्द्र पाल पुत्र नेकसू के समक्ष दिनांक 18–06–13 को मैंथा तेल बेचकर अन्य गवाहों नवीन, अजय मिश्रा व महेश चन्द्र वर्मा के सामने एक लाख पचास हजार रुपये दिये थे। उपरोक्त दोनों मुल्जिमों ने उक्त डेढ़ लाख रुपये 01 महीने में वापस करने का वायदा कर लिया था। नियत समय बीतने पर उसने मुल्जिमों से जब–जब अपने रुपये वापस मांगने का तकादा किया, तो बीमारी व व्यापार में घाटा होने की बात बताकर दोनों मुल्जिमान टाल–मटोल करते रहे और उससे रंजिश रखने लगे। दिनांक 07–05–16 को शाम लगभग 04 बजे वह अजय मिश्रा, गजेन्द्र पाल सिंह व नवीन मिश्रा को साथ लेकर मुल्जिमानों के पास पहुँचा

और अपने पैसे वापस मांगे, तो गन्दी–गन्दी गालियां देकर उसके साथ लड़ाई–झगड़ा शुरू कर दिया और कमरे का दरवाजा बन्द करके उसके साथ मारपीट करने लगे। यह घटना मुल्जिमानों ने उसके द्वारा अपने पैसे मांगने पर कारित की थी। उसके शोर पर उसके साथ आये अजय, गजेन्द्र व नवीन घर के कमरे के अन्दर आ गए और कमरे का दरवाजा खोलकर उसे बचाया और पूरी घटना देखी। दोनों मुल्जिमानगण उसे पीट–पीटकर उसकी हत्या कर देते। उसने घटना की सूचना लिखित रूप से थाने पर दी। कप्तान साहब को दी थी। थाने पर कोई कार्यवाही न होने पर वह दिनांक 01–06–16 को डी.आई.जी. महोदय, बरेली के कार्यालय पर उपस्थित हुआ और प्रार्थना–पत्र दिया तथा अपने साथ घटित घटना के बारे में बताया। डी .आई.जी. साहब के आदेश पर थाना कोतवाली पर उसका मुकदमा दर्ज हुआ। उसने इस घटना के सम्बन्ध में पूरी बात बता दी थी और दरोगा जी को घटनास्थल दिखा दिया था। साक्षी गवाह ने कागज सं० 7ख/9 लगायत 7ख/12 देखकर बताया कि वही एफ.आई.आर./नकल चिक है, जो उसके द्वारा डी.आई.जी. साहब को दिये प्रार्थना–पत्र पर थाना कोतवाली पर पुलिस द्वारा दर्ज की गयी थी। दिनांक 05–09–2017 को उपरोक्त मुल्जिमान संदीप वर्मा व सिद्धगोपाल वर्मा के विरुद्ध उसके भतीजे वैभव शर्मा पुत्र चमन प्रकाश शर्मा नि० मोहल्ला गढ़ैया शहबाजपुर , थाना कोतवाली, बदायूँ के साथ हुई घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली, बदायूँ पर मु०अ०सं०–506/17 धारा 307, 406, 504, 506 भा०दं०सं० कायम कराया गया। उक्त मुकदमा भी अभियुक्तगण द्वारा वैभव से रुपयों व जेवर की बेईमानी के सम्बन्ध में कायम कराया गया , जिसका विचारण सत्र न्यायालय, बदायूँ में चल रहा है। इसके अलावा अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 17–05–16 को छत्रपाल सिंह यादव पुत्र रौशन सिंह यादव नि० लोची नगला, थाना कोतवाली, बदायूँ से जेवर व रुपयों के लेन–देन व उसमें की गई बेईमानी के बाबत थाना कोतवाली पर मु०अ०सं०–772/16 धारा 406/420/504/506 भा०दं०सं० में अभियुक्तगण संदीप वर्मा व सिद्धगोपाल वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो कि सी.जे.एम., बदायूँ में विचाराधीन है।

7. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–2 कां० संजीव कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 14–11–2017 को वह थाना कोतवाली पर कार्यलेख के रूप में तैनात था। उस दिन उसने अनुमोदित गैंगचार्ट के आधार पर प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार यादव की जुबानी सूचना पर मु०अ०सं०–694/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर्स एक्ट बनाम संदीप वर्मा पुत्र श्री सिद्धगोपाल वर्मा आदि के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था , जिसका खुलासा रोजनामचा में रपट नं० 50, समय 21:50 बजे किया था। पत्रावली पर क्रमशः कागज सं० 7ख/37 लगायत 7ख/40 पर एफ०आई०आर० तथा कागज सं० 7ख/41 लगायत 7ख/42 पर जी०डी० उपलब्ध है, जिन पर प्रदर्श क–1 व प्रदर्श क–2 डाला जाता है। उपरोक्त से सम्बन्धित विवेचना उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार की गई थी। गैंगस्टर्स

अधिनियम की विवेचना में उसके बयान थाना परिसर में अंकित किये गये थे। अभियुक्तगण का भय व आतंक इतना था कि कोई भी उनके विरुद्ध शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था।

8. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–3 वैभव शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसने अपने कार्य के लिए चार सोने की चूड़ियाँ व एक सोने की चेन गिरवी रखकर संदीप वर्मा पुत्र सिद्धगोपाल व सिद्धगोपाल पुत्र श्यामलाल शर्मा निवासी मोहल्ला पटियाली सराय, थाना कोतवाली से 80,000/– रुपये ब्याज पर दो माह के लिए लिये थे। वह समय–समय पर ब्याज देता रहा। जब वह उक्त सामान को छुड़ाने गया, तो उसके साथ गाली–गलौज की गयी और उसे जान से मारने की धमकी दी गयी। जान से मारने की नीयत से उसका गला दबा दिया तथा उसका जेवर भी वापस नहीं किया गया। इस पर उसने थाना कोतवाली पर संदीप वर्मा व सिद्धगोपाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।

9. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–4 निरीक्षक अजय कुमार यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 07–11–2017 को वह प्रभारी निरीक्षक के पद पर थाना कोतवाली, बदायूँ पर तैनात था। उस दिन उसने थाने पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आपराधिक मामलों का एक गैंगचार्ट तैयार किया , जिसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अग्रसारित कराने तथा जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ से अनुमोदित कराने के उपरान्त अभियुक्तगण संदीप वर्मा पुत्र सिद्धगोपाल वर्मा व सिद्धगोपाल वर्मा पुत्र श्यामलाल वर्मा निवासी पटियाली सराय, थाना कोतवाली, जिला बदायूँ के विरुद्ध मु०अ०सं०–694/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत कराया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट की मूल प्रति पत्रावली पर कागज सं० 4क/1 ता 4क/4 के रूप में उपलब्ध है, जो पूर्व में प्रदर्श क–1 के रूप में साबित की जा चुकी है। गैंगचार्ट पत्रावली पर कागज सं० 5क के रूप में उपलब्ध है, जिसे उसने कम्प्यूटर से तैयार कराया था और जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस पर प्रदर्श क–3 डाला जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त का थाना क्षेत्र में इतना भय व आतंक था कि उनके विरुद्ध जनता का कोई व्यक्ति सहजता से गवाही देने व लिखित शिकायत करने को तैयार नहीं होता था। गैंगस्टर के मुकदमे के विवेचक ने उसके बयान लिये थे।

10. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–5 देवेश सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 17–11–2017 को वह बतौर थाना प्रभारी, थाना सिविल लाइंस पर नियुक्त था। उसी दिन क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के आदेश के अनुपालन में मु०अ०सं०–694/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, बनाम संदीप वर्मा व सिद्धगोपाल वर्मा के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमे की विवेचना उसे प्राप्त हुई थी। उसने नकल गैंगचार्ट करके सी०डी०–2 किता की। दिनांक 06–12–2017 को सी०डी०–3 किता की, जिसमें वादी अजय कुमार यादव, एस०एच०ओ० का बयान अंकित किया। दिनांक 09–12–2017

को सी०डी०–4 किता की, जिसमें कां० मोहित चौहान का बयान अंकित किया। दिनांक 22–12–2017 को सी०डी०–5 किता की, जिसमें अभियुक्त संदीप वर्मा को गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित किया गया। उसी दिन पर्चा 5ए किता किया, जिसमें अभियुक्त संदीप वर्मा का साठ दिवसीय रिमाण्ड स्वीकृत कराया एवं संदीप वर्मा से उसके पिता सिद्धगोपाल के बारे में जानकारी की। दिनांक 25–01–2018 को सी०डी०–6 किता की, जिसमें अभियुक्त सिद्धगोपाल वर्मा की मृत्यु होने का मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न किया। दिनांक 25–02–2018 को सी०डी०–7 किता की, जिसमें कां० कौशल कुमार का बयान अंकित किया। दिनांक 12–03–2018 को सी०डी०–8 किता की, जिसमें मु०अ०सं०–572/2016 धारा 406, 323, 504, 506 आई०पी०सी० के वादी सुभाष चन्द्र शर्मा, एड० पुत्र श्री रामरक्षपाल निवासी पटियाली सराय, थाना कोतवाली, जिला बदायूँ, एफ०आई०आर० लेखक हे०कां० ओमप्रकाश, विवेचक एस०आई० प्रवेन्द्र सिंह, मु०अ०सं०–772/2016 धारा 406, 420, 504, 506 आई०पी०सी० के वादी छत्रपाल सिंह यादव पुत्र रोशन सिंह यादव निवासी लोची नगला, एफ०आई०आर० लेखक कां० संजीव कुमार, इसी मामले की विवेचक एस०आई० आशा देवी, मु०अ०सं०–506/2017 धारा 307, 406, 504, 506 आई०पी०सी० के वादी वैभव कुमार शर्मा, इसी मामले के एफ०आई०आर० लेखक अरुण पंवार तथा विवेचक एस०आई० दीनदयाल यादव के बयान अंकित किये। धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अपराध प्रमाणित होने पर अभियुक्त संदीप वर्मा को चालान कर आरोप–पत्र प्रेषित किया। आरोप–पत्र पत्रावली पर कागज सं० 3क/1 लगायत 3क के रूप में उपलब्ध है, जो कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया गया है और जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। दिनांक 05–04–2018 को एस०सी०डी०–1 किता की, जिसमें अभियोग चलाने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूँ से अनुमति प्राप्त की, जिसे सी०डी० में संलग्न किया गया। अनुमति आदेश पत्रावली पर कागज सं० 7क/1 के रूप में उपलब्ध है, जिस पर तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर हैं। उस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दौरान विवेचना अभियुक्त के भय व आतंक के कारण जनता का कोई गवाह स्वतन्त्र साक्ष्य देने को तैयार नहीं हुआ।

11. प्रदर्श क–1 मुकदमा अपराध संख्या–694/2017, अन्तर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट की मूल प्रति है, जो दिनांक 14–11–2017 को पंजीकृत की गयी। इसके अवलोकन से प्रकट होता है कि गैंगचार्ट के अनुमोदन के उपरान्त वादी मुकदमा अजय कुमार यादव ने अभियुक्तगण संदीप वर्मा व सिद्धगोपाल वर्मा के विरुद्ध संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए धोखाधड़ी कर धन हड़पने एवं जान से मारने का प्रयास करने जैसे अपराध कारित करके जनता में भय व आतंक फैलाने का कथन करते हुए उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी थी। इसमें वादी ने यह भी उल्लेख किया कि अभियुक्तगण का भय व

आतंक जनता में व्याप्त है और कोई भी उनके विरुद्ध गवाही देने अथवा सूचना देने का साहस नहीं जुटा पाता है। प्रदर्श क–2 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की कायमी से सम्बन्धित जी०डी० संख्या–50 की प्रति है, जिसके अनुसार मुकदमे का खुलासा रपट नं० 50 पर दिनांक 14–11–2017 को समय 21:50 बजे किया गया है।

12. प्रदर्श क–3 अभियुक्तगण संदीप वर्मा व सिद्धगोपाल वर्मा के विरुद्ध एस०एच०ओ० थाना कोतवाली, अजय कुमार यादव द्वारा तैयार किया गया गैंगचार्ट है, जिसमें अभियुक्तगण संदीप वर्मा व सिद्धगोपाल वर्मा के विरुद्ध धोखाधड़ी कर अवैध रूप से धन हड़पने व हत्या का प्रयास करने जैसे भिन्न–भिन्न कुल तीन मुकदमे पंजीकृत हैं। इस गैंगचार्ट को जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा दिनांक 13–11–2017 को अनुमोदित किया गया, जबकि क्षेत्राधिकारी नगर, पुलिस अधीक्षक नगर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 09–11–2017 को संस्तुति करते हुए अग्रसारित कर गैंगचार्ट प्रेषित किया गया। उक्त गैंगचार्ट पर जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ की मोहर अंकित है, किन्तु क्षेत्राधिकारी नगर, पुलिस अधीक्षक नगर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की कोई मोहर अंकित नहीं है।

13. प्रदर्श क–4 अभियुक्त संदीप वर्मा के विरुद्ध मु०अ०सं० –694/17 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में प्रेषित आरोप–पत्र है, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 30–08–2018 को प्रसंज्ञान लिया गया है। प्रदर्श क–5 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 04–04–2018 को अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग चलाये जाने हेतु प्रदान की गयी अभियोजन अनुमति है।

14. प्रदर्श क–6 मुकदमा अपराध संख्या–572/2016 की मूल चिक एफ०आई०आर० है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा सुभाष चन्द्र शर्मा की ओर से टंकित तहरीर देकर थाना कोतवाली पर अभियुक्तगण सिद्धगोपाल व संजीव के विरुद्ध धारा 406, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें कथन किया गया है कि प्रार्थी/वादी के घर के पास सिद्धगोपाल व उसका लड़का रहते थे। उक्त दोनों लोगों ने उसके घर आकर जरूरत का वास्ता देकर 1,50,000/– रुपये मांगे थे। प्रार्थी/वादी ने सम्बन्धों के कारण दिनांक 18–06–2013 को गजेन्द्र पाल सिंह, अजय मिश्रा, नवीन मिश्रा, महेश चन्द्र वर्मा आदि लोगों के सामने मैंथा का तेल बेचकर उक्त धनराशि उन्हें दी थी। इन लोगों ने एक माह में पैसा वापस करने का वायदा किया था। जब काफी समय तक रुपया वापस नहीं किया गया, तब वादी ने अपना पैसा वापस मांगा, लेकिन दोनों लोग कभी बीमारी और कभी व्यापार में घाटा होने का बहाना बनाकर लगातार टाल–मटोल करते रहे और पैसा वापस नहीं किया। प्रार्थी/वादी दिनांक 07–05–2016 को दिन में समय करीब 04 बजे अजय मिश्रा, गजेन्द्र पाल सिंह और नवीन शर्मा के साथ पैसे मांगने गया, तो उपरोक्त दोनों लोगों ने गन्दी–गन्दी गालियाँ देते हुए कहा कि वह शहर में उनकी बदनामी करता है और देखेंगे कि वह पैसा वापस कैसे लेगा। इसके पश्चात उन्होंने उसे कमरे में बन्द करके उसके साथ मारपीट की। उक्त तहरीर के आधार

पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना की गयी तथा प्रदर्श क–7 उक्त अपराध में विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण सिद्धगोपाल व संदीप के विरुद्ध प्रेषित आरोप–पत्र है।

15. प्रदर्श क–8 मुकदमा अपराध संख्या–772/2016 की मूल चिक एफ०आई०आर० है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा छत्रपाल सिंह यादव की ओर से टंकित तहरीर देकर थाना कोतवाली पर अभियुक्तगण सिद्धगोपाल व संदीप वर्मा के विरुद्ध धारा 406, 420, 504, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें कथन किया गया है कि प्रार्थी/वादी अपनी खेती की जरूरत के लिए अपनी पत्नी के जेवरात एक जंजीर, चार चूड़ियाँ व तीन अंगूठियाँ, जिनका कुल वजन करीब पाँच तोला था, लेकर दिनांक 20–06–2016 को हलवाई चौक स्थित संदीप वर्मा पुत्र सिद्धगोपाल वर्मा की दुकान पर गिरवी रखने गया और उसने 75,000/– रुपये मांगे। संदीप वर्मा ने जेवर रखकर उसे रुपये दे दिये। प्रार्थी/वादी प्रत्येक माह ब्याज जमा करता रहा। दिनांक 17–06–2016 को प्रार्थी/वादी गिरवी छुड़ाने के लिए रुपये लेकर संदीप वर्मा की दुकान पर गया और संदीप वर्मा से हिसाब करके अपना जेवर मांगा, तो संदीप ने कहा कि उसने जेवर दूसरी जगह रखा है, इसलिए वह रुपये और दी गयी दोनों रसीदें दे दे तथा एक घंटे बाद आकर जेवर ले ले। वादी/प्रार्थी ने दुकानदार पर विश्वास करते हुए दोनों रसीदें और 75,000/– रुपये दे दिये। एक घंटे बाद जब वादी/प्रार्थी जेवर लेने गया, तो संदीप और उसके पिता रुपये व रसीदें पुनः मांगने लगे। यह सुनकर वादी/प्रार्थी घबरा गया और उसने कहा कि वह एक घंटे पहले ही संदीप के हाथ में रुपये दे चुका है। इसी बात पर दोनों पिता–पुत्र गालियाँ देने लगे और कहा कि यदि वह आज के बाद दुकान पर चढ़ा, तो उसे जान से मार देंगे। उधर से निकल रहे अनुज मिश्रा, राकेश कारीगर व अन्य लोगों ने उसे बचाया। उक्त तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना की गयी तथा प्रदर्श क–9 उक्त अपराध में विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण सिद्धगोपाल व संदीप के विरुद्ध प्रेषित आरोप–पत्र है।

16. प्रदर्श क–10 मुकदमा अपराध संख्या–506/2017 की मूल चिक एफ०आई०आर० है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा वैभव कुमार शर्मा की ओर से टंकित तहरीर देकर थाना कोतवाली पर अभियुक्तगण सिद्धगोपाल व संदीप वर्मा के विरुद्ध धारा 307, 406, 504, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें कथन किया गया है कि प्रार्थी/वादी को माह जनवरी में पैसों की सख्त आवश्यकता थी, इसलिए वह दिनांक 09–01–2017 को साक्षीगण श्री राजेश शर्मा व प्रमोद श्रीवास्तव के साथ संदीप वर्मा पुत्र सिद्धगोपाल वर्मा व सिद्धगोपाल वर्मा पुत्र श्यामलाल निवासी पटियाली सराय, थाना कोतवाली, बदायूँ के हलवाई चौक स्थित प्रतिष्ठान पर गया। वहाँ उसने चार सोने की चूड़ियाँ व एक सोने की चेन, जिनका कुल वजन 50 ग्राम था, गिरवी रखकर उपरोक्त अभियुक्तगण से नौ माह की अवधि के लिए 80,000/– रुपये उधार लिये, जिसका ब्याज वादी/प्रार्थी समय–समय पर

देता रहा। समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त वादी/प्रार्थी उपरोक्त गवाहों को साथ लेकर दिनांक 05-09-2017 को दोपहर लगभग 12 बजे संदीप वर्मा पुत्र सिद्धगोपाल के प्रतिष्ठान पर पहुँचा तथा 80,000/- रुपये का भुगतान करके अपना गिरवी रखा माल वापस मांगा, तो उसे एक घंटे प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। वह दोपहर 02 बजे पुनः उक्त लोगों की दुकान पर पहुँचा और अपना माल वापस मांगा, तो वे गन्दी-गन्दी गालियाँ देने लगे तथा लड़ाई-झगड़े पर आमादा हो गये। उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि यदि उसने माल मांगा, तो वे उसकी हत्या करके लाश गायब करवा देंगे। उसके विरोध करने पर दोनों ने उसे दुकान के अन्दर खींच लिया। संदीप वर्मा उसके पैरों पर बैठ गया और सिद्धगोपाल ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया तथा उसे जान से मारने का प्रयास किया। उसके शोर मचाने तथा साक्षीगण राजेश शर्मा व प्रमोद श्रीवास्तव को आते देखकर मुल्जिमान उसे दुकान से बाहर फेंककर, दुकान बन्द करके भाग गये। उक्त तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना की गयी तथा प्रदर्श क-11 उक्त अपराध में विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण सिद्धगोपाल व संदीप वर्मा के विरुद्ध प्रेषित आरोप-पत्र है।

17. अभियोजन की ओर से साक्ष्य समाप्त किये जाने के उपरान्त अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में उनके विरुद्ध आये तथ्यों के संदर्भ में उनसे पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में कहा गया कि आरोप झूंठे व गलत हैं, अभियुक्त पैतृक सर्राफ व अस्त्र-शस्त्र विक्रेता है। उसकी छवि धूमिल करने व सम्पत्ति पर बुरी नीयत रख उसका व उसके पिता को झूंठा गिरोह दिखा कर झूठा मुकदमा लगवा दिया है। सुभाष चन्द्र शर्मा, उनके भतीजे वैभव शर्मा एवं परिचित छत्रपाल यादव द्वारा थाना कोतवाली उसके विरूद्ध फर्जी मुकदमें लगवाये हैं। विवेचक ने निष्पक्ष विवेचना नहीं की। दिनांक 11-04-2018 को प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अत्यन्त गोपनीय रूप से डाक द्वारा विवेचक को दिये थे, उन्हें जांच में शामिल न कर उसके खिलाफ एक पक्षीय रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अभियुक्त व उसके पिता दोनों को फंसा दिया, पिता जी आरोप पत्र से पहले ही मर गये थे। उसके पास सिर्फ पैतृक सम्पत्ति है और कोई नहीं है। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया है।

18. बचाव पक्ष की ओर से सफ़ाई साक्ष्य में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत जिला अधिकारी बदायूँ के आदेश दिनांक 2-09-2025 की प्रमाणित सत्यप्रति कागज सं०-27 ख/1 ता 3, प्रदर्श ख-1, अपर जिला अधिकारी प्रशासन के आदेश दिनांक 06-06-2022 की प्रमाणित सत्यप्रति कागज संख्या-28 ख/1 ता 2 प्रदर्श ख-2 और सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त सूचना प्राप्ति पत्र की मूल प्रति कागज संख्या -34 ख/5 प्रदर्श ख-3 दाखिल की गयी है।

19. इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष की ओर से सफ़ाई साक्ष्य में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में आधार

मुकदमा अपराध संख्या–572/2016 फौजदारी वाद संख्या–8745/2016 सरकार बनाम संदीप वर्मा धारा–406, 323, 504, 506 भा०दं०सं० थाना कोतवाली जिला बदायूँ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा दिनांक 03–08–2023 को पारित निर्णय की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या–20ख/1 ता 4 प्रदर्श ख–4, आधार मुकदमा अपराध संख्या–772/2016 फौजदारी वाद संख्या–1292/2016 सरकार बनाम संदीप वर्मा व सिद्धगोपाल वर्मा धारा–406, 420, 504, 506 भा०दं०सं० थाना कोतवाली जिला बदायूँ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा दिनांक 05–07–2023 को पारित निर्णय की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या–20ख/5 ता 8 प्रदर्श ख–5 और आधार मुकदमा अपराध संख्या–506/2017 सत्रवाद परीक्षण संख्या–1043/2022 सरकार बनाम संदीप वर्मा धारा–307/34, 406, 504, 506 भा०दं०सं० थाना कोतवाली जिला बदायूँ में माननीय सत्र न्यायाधीश, बदायूँ द्वारा दिनांक 28–02–2023 को पारित निर्णय की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या–20ख/9 ता 14 प्रदर्श ख–6 दाखिल की गयी हैं, उक्त आधार अभियोगों में अभियुक्त संदीप वर्मा को दोषमुक्त किया गया है।

20. राज्य के तरफ से विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है। इस गैंग के सदस्य अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित अपराधो को करने का आदी एवं अभयस्त हो गये है। अभियुक्त के विरूद्ध धोखाधड़ी कर अवैध रूप से धन हड़पने व हत्या का प्रयास करने, जान से मारने की धमकी देने जैसे विभिन्न अभियोग पंजीकृत हैं। सभी साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अभियुक्त गैंग बनाकर अपराध करता है तथा इनका स्थानीय थाना व आस पास के थाना क्षेत्र में आम जनता के बीच भय व आतंक है। इस गिरोह का उद्देश्य, हिंसा, धमकी एवं उत्पीडन द्वारा एकल तथा सामूहिक रूप से शान्ति भंग कर स्वंय अपने अथवा अन्य के लिए भौतिक, आर्थिक और अनुचित व दुनियावी लाभ प्राप्त करना होता है। जन साधारण का कोई व्यक्ति इनके विरूद्ध न्यायालयों में गवाही देने का साहस नहीं करता है , इस कारण इनके विरूद्ध न्यायालयों में चल रहे अभियोग का सफल परीक्षण नहीं हो पाता है। अतः अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 2/3 के अपराध के आरोप को अपने साक्ष्य से साबित करने में सफल रहा है, इसलिए अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

21. बचाव पक्ष की तरफ से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त को पुलिस ने राजनैतिक दबाव के कारण झूंठा उक्त मुकदमें में फँसाया है। वह पैतृक सर्राफ व अस्त्र–शस्त्र विक्रेता है। उसकी छवि धूमिल करने व सम्पत्ति पर बुरी नीयत रख उसका व उसके पिता को झूंठा गिरोह दिखा कर झूठा मुकदमा लगवा दिया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। अभियुक्त का कोई गैंग नहीं है और वह समाज विरूद्ध क्रियाकलाप में लिप्त नहीं है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सकंलित नही किया गया है जिससे यह माना जा सके कि अभियुक्त

अपराध करके कोई सम्पत्ति अर्जित किये हो, तथा अभियुक्त के द्वारा अर्जित की गयी सम्पत्ति का कोई विवरण भी विवेचक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये आधार मुकदमा अ०सं०–572/2016, 772/2016 और 506/2017 धोखाधड़ी कर अवैध रूप से धन हड़पने, मारपीट कर उपहति कारित करने व हत्या का प्रयास करने और जान से मारने की धमकी देने के अभियोगों में दोषमुक्त किया जा चुका है। इस प्रकार अभियोजन युक्तियुक्ति संदेह से परे अभियोजन कथानक को साबित करने में असफल रहा है। इसलिए अभियुक्त को धारा–2/3 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाये।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

22. अभियोजन के द्वारा अभियुक्त संदीप वर्मा को गिरोहबंद बताते हुए यह कहा गया है कि वह एक गिरोह के रूप में कार्य करते था, जो आर्थिक लाभ के लिए धोखाधड़ी कर अवैध रूप से धन हड़पने व मारपीट कर उपहति कारित करने, जान से मारने की धमकी देने एवं हत्या का प्रयास जैसे अपराध करता था। इसलिए अभियुक्त का कृत्य उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन दण्डनीय है।

23. माननीय उच्च न्यायालय ने **राम रहीश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2011 (73) ACC 559** के वाद में यह प्रतिपादित किया है कि गैंगस्टर्स अधिनियम की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध को आकर्षित करने हेतु आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 2(ख) में निहित "गैंग" की परिभाषा तथा धारा 2(ग) में निहित "गैंगस्टर" की परिभाषा में वर्णित आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो। इसके साथ ही अभियुक्त के विरूद्ध तैयार व अनुमोदित किये गये गैंगचार्ट की वैधता को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के परिप्रेक्षय में देखा जाना भी आवश्यक है।

24. अत: विधि की उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए और अभियोजन तथा अभियुक्त के तर्कों के अधार पर निम्न **विचारणीय बिन्दु** बनाए जाते हैं:

(1)– क्या अभियुक्त संदीप वर्मा तथा सह –अभियुक्त सिद्धगोपाल वर्मा ने अपराध करके आर्थिक लाभ प्राप्त करने एवं हिंसा द्वारा समाज–विरोधी क्रियाकलाप करने के उद्देश्य से परस्पर गिरोह बनाया था?

(2)– क्या अभियुक्त के द्वारा गिरोह का सदस्य रहते हुए आर्थिक लाभ एवं हिंसा कारित करने के उद्देश्य से अपहरण, हत्या व हत्या का प्रयास के अपराध कारित किये गये ?

(3)– अभियुक्त के विरूद्ध बनाये गये गैंगचार्ट की वैधता ?

(4)– अपराध का साबित होना या ना होना ?

25. अभियुक्त द्वारा आर्थिक लाभ अर्जित करने तथा हिंसा कारित कर समाज विरोधी क्रियाकलाप के उद्देश्य से गिरोह के गठन किए जाने के संबंध में बनाए गए विचारणीय बिन्दुओं में

निहित तथ्यों का विश्लेषण करने के लिये अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य का मूल्यांकन आवश्यक है।

26. गैंगचार्ट में उल्लिखित आधारभूत मुकदमों में मुकदमा अपराध संख्या –572/2016, अन्तर्गत धारा 406, 323, 504 एवं 506 भा०दं०सं० के वादी सुभाष चन्द्र शर्मा हैं; मुकदमा अपराध संख्या–772/2016, अन्तर्गत धारा 406, 420, 504 एवं 506 भा०दं०सं० के वादी छत्रपाल सिंह यादव हैं; तथा मुकदमा अपराध संख्या–506/2017, अन्तर्गत धारा 307, 406, 504 एवं 506 भा०दं०सं० के वादी वैभव कुमार शर्मा हैं। सुभाष चन्द्र शर्मा को पी०डब्लू०–1 तथा वैभव शर्मा को पी०डब्लू०–3 के रूप में परीक्षित किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या–772/2016 के वादी छत्रपाल सिंह यादव को विचारण में परीक्षित नहीं किया गया।

27. पी०डब्लू०–1 सुभाष चन्द्र शर्मा के साक्ष्य तथा उससे सम्बन्धित आधारभूत मुकदमा अपराध संख्या–572/2016, अन्तर्गत धारा 406, 323, 504 एवं 506 भा०दं०सं० के समग्र मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि उक्त मुकदमे की उत्पत्ति कथित रूप से दी गयी 1,50,000/– रुपये की ऋणराशि की वापसी के विवाद से हुई थी। यद्यपि साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त संदीप वर्मा तथा उसके पिता सिद्धगोपाल वर्मा दोनों द्वारा ऋण लिये जाने, धनराशि वापस न करने तथा दिनांक 07–05–2016 को उसके साथ गाली–गलौज एवं मारपीट किये जाने का कथन किया है, तथापि प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उक्त धनराशि का वास्तविक लेन –देन केवल सिद्धगोपाल वर्मा और उसके मध्य हुआ था तथा अभियुक्त संदीप वर्मा से उसका न तो कोई लेन–देन हुआ था और न ही कोई विवाद था। उसने यह भी स्वीकार किया कि डेढ़ लाख रुपये के लेन–देन को लेकर संदीप वर्मा से उसका कोई विवाद नहीं हुआ था। साक्षी के अनुसार संदीप वर्मा ने केवल अपने पिता का पक्ष लेते हुए उससे शिकायत का कारण पूछा था, जिस पर उसने स्वयं संदीप वर्मा से कोई शिकायत न होने की बात कही थी और वहाँ उपस्थित लोगों ने दोनों को समझा–बुझाकर अलग कर दिया था।

28. इस प्रकार आधारभूत मुकदमे का मूल एवं प्रमुख विवाद ऋण की वापसी से सम्बन्धित था, जो अपने स्वरूप में मुख्यतः दीवानी प्रकृति का विवाद है। केवल ऐसे ऋण –वसूली सम्बन्धी विवाद को, विशेषकर जब साक्षी स्वयं अभियुक्त संदीप वर्मा से किसी लेन–देन अथवा विवाद से इनकार करता है, संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक या भौतिक लाभ प्राप्त करने की निरन्तर समाज–विरोधी गतिविधि का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

29. पी०डब्लू०–3 वैभव शर्मा के साक्ष्य तथा उससे सम्बन्धित आधारभूत मुकदमा अपराध संख्या–506/2017, अन्तर्गत धारा 307, 406, 504 एवं 506 भा०दं०सं० के समग्र मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि उक्त मुकदमे की उत्पत्ति चार सोने की चूड़ियाँ एवं एक सोने की चेन गिरवी रखकर लिये गये 80,000/– रुपये तथा गिरवी रखे गये जेवर की वापसी के विवाद

से हुई थी। पी०डब्लू०–3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसने उक्त जेवर गिरवी रखकर संदीप वर्मा व सिद्धगोपाल से 80,000/– रुपये ब्याज पर लिये थे और जेवर छुड़ाने जाने पर उसके साथ गाली–गलौज की गयी, जान से मारने की धमकी दी गयी, उसका गला दबाया गया तथा उसका जेवर वापस नहीं किया गया। तथापि प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसके साथ हुई घटना केवल सिद्धगोपाल से सम्बन्धित थी, संदीप वर्मा से उसका कोई लेन–देन नहीं था और घटना के समय मौके पर केवल सिद्धगोपाल ही उपस्थित था। उसने यह भी स्वीकार किया कि आसपास के लोगों के कहने पर उसने संदीप वर्मा का नाम लिखवा दिया था। यह स्वीकारोक्ति अभियुक्त संदीप वर्मा की उपस्थिति और घटना में उसकी सहभागिता से सम्बन्धित अभियोजन कथन के मूल आधार को ही समाप्त कर देती है। इस प्रकार इस आधारभूत मुकदमे का मूल विवाद भी ऋण तथा गिरवी रखे गये जेवर की वापसी से सम्बन्धित था, जो मुख्यतः दीवानी प्रकृति का लेन–देन है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर संदीप वर्मा द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य अथवा गैंग लीडर के रूप में आर्थिक या भौतिक लाभ के लिए समाज–विरोधी अपराध कारित करना सिद्ध नहीं होता। अतः पी०डब्लू० –3 का साक्ष्य अभियुक्त संदीप वर्मा के विरुद्ध गैंगस्टर्स अधिनियम की धारा 2 एवं 3 के आवश्यक तत्वों को सिद्ध नहीं करता है।

30. तीसरे आधारभूत मुकदमा अपराध संख्या–772/2016, अन्तर्गत धारा 406, 420, 504 एवं 506 भा०दं०सं० के सम्बन्ध में पत्रावली पर प्रदर्श क –8 के रूप में मूल चिक एफ०आई०आर० तथा प्रदर्श क–9 के रूप में विवेचना के उपरान्त प्रेषित आरोप–पत्र उपलब्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी छत्रपाल सिंह यादव ने कथन किया है कि उसने अपनी पत्नी के जेवरात गिरवी रखकर अभियुक्त संदीप वर्मा से 75,000/– रुपये लिये थे और ब्याज का भुगतान करने के पश्चात ऋणराशि एवं रसीदें देकर जेवर वापस मांगने पर संदीप वर्मा तथा उसके पिता सिद्धगोपाल ने जेवर लौटाने से इनकार करते हुए उसके साथ गाली–गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी दी।

31. किन्तु उक्त आधारभूत मुकदमे के वादी छत्रपाल सिंह यादव को वर्तमान विचारण में परीक्षित नहीं कराया गया। यह स्पष्ट है कि इस मुकदमे का भी मूल विवाद ऋण, ब्याज तथा गिरवी रखे गये जेवर की वापसी से सम्बन्धित था। ऐसी स्थिति में केवल प्रदर्श क –8 एवं प्रदर्श क–9 के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त संदीप वर्मा ने संगठित गिरोह के सदस्य अथवा गैंग लीडर के रूप में आर्थिक या भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से समाज– विरोधी अपराध कारित किया।

32. पी०डब्लू०–2 कां० संजीव कुमार ने अनुमोदित गैंगचार्ट और प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार यादव की सूचना पर दिनांक 14–11–2017 को मु०अ०सं०–694/2017, धारा 2/3 गैंगस्टर्स अधिनियम पंजीकृत कर रपट नं० 50 में समय 21:50 बजे उसकी प्रविष्टि की थी।

उसने अभियुक्तगण के भय के कारण जनता द्वारा शिकायत न करने की बात कही, परन्तु किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया। वह किसी आधारभूत घटना का प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं है। इसलिए उसका साक्ष्य केवल एफ०आई०आर० और जी०डी० की कायमी सिद्ध करता है; गिरोह, समाज–विरोधी गतिविधि तथा आर्थिक या भौतिक लाभ के सम्बन्ध में उसका कथन व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित नहीं है।

33. पी०डब्लू०–4 निरीक्षक अजय कुमार यादव ने थाना अभिलेखों में पंजीकृत तीन मुकदमों के आधार पर गैंगचार्ट तैयार कराया और अनुमोदन के बाद वर्तमान अभियोग पंजीकृत कराया। उसने अभियुक्तगण के भय के कारण जनता के गवाही या शिकायत न करने की बात कही, लेकिन किसी घटना को स्वयं नहीं देखा और किसी भयभीत व्यक्ति का नाम नहीं बताया। उसे आधारभूत मुकदमों के निस्तारण तथा पूर्व आपराधिक इतिहास की भी जानकारी नहीं थी। उसका साक्ष्य गैंगचार्ट तैयार करने और अभियोग पंजीकृत कराने की प्रक्रिया सिद्ध करता है, परन्तु गैंगस्टर्स अधिनियम के तत्वों पर उसका कथन केवल थाना अभिलेखों पर आधारित है। पी०डब्लू०–5 देवेश सिंह ने विवेचना की, संबंधित व्यक्तियों के बयान लिये, अभियुक्त संदीप वर्मा को गिरफ्तार किया, सिद्धगोपाल का मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न किया, अभियोजन अनुमति प्राप्त की और आरोप–पत्र प्रेषित किया। उसने अभियुक्तगण के भय के कारण स्वतंत्र गवाह उपलब्ध न होने की बात कही, परन्तु सूचना देने वाले किसी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं किया। संदीप वर्मा से कोई अवैध शस्त्र या धन बरामद नहीं हुआ और साक्षी को निवास एवं व्यापार–स्थल पर की गयी जाँच का परिणाम भी याद नहीं था। इसलिए उसका साक्ष्य विवेचना की कार्यवाही सिद्ध करता है; आधारभूत घटनाओं, गिरोह के गठन और जनता में भय के सम्बन्ध में उसका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है।

34. उपरोक्त समस्त साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि पी०डब्लू०–1 सुभाष चन्द्र शर्मा ने ऋण का लेन–देन केवल सिद्धगोपाल से होना तथा पी०डब्लू०–3 वैभव शर्मा ने संदीप वर्मा से कोई लेन–देन और घटना के समय उसकी उपस्थिति न होना स्वीकार किया। तीसरे आधार मुकदमे के वादी छत्रपाल सिंह यादव को परीक्षित नहीं किया गया। तीनों विवाद मुख्यतः ऋण एवं गिरवी रखे जेवर की वापसी से सम्बन्धित हैं। पी०डब्लू०–2, पी०डब्लू०–4 एवं पी०डब्लू०–5 ने केवल मुकदमे की कायमी, गैंगचार्ट और विवेचना की औपचारिक कार्यवाही सिद्ध की है। अतः इन साक्षियों की साक्ष्य से भी अभियुक्त के उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के आवश्यक तत्त्व सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्तगण ने कोई "गिरोह" का गठन किया था अथवा वे भौतिक, दुनियावी या आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से संगठित रूप से कार्य कर रहे थे। मात्र कुछ आपराधिक मुकदमों का अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत होना अथवा आरोप पत्र

प्रेषित होना, अपने आप में, उन्हें अधिनियम की धारा 2(ख) के अर्थों में "गिरोह" सिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं है।

गैंगचार्ट की वैधता

35. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **Ankit Sharma @ Ankit Kumar बनाम राज्य उ०प्र० (निर्णय दिनांक** 09.11.2022) में यह प्रतिपादित किया गया है कि उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गैंगचार्ट तैयार करने एवं अनुमोदित करने की प्रक्रिया में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा शासनादेशों एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना आवश्यक है तथा गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही केवल औपचारिक अथवा यांत्रिक ढंग से नहीं की जा सकती। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि गैंगचार्ट अनुमोदन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क का प्रयोग एवं वास्तविक संतुष्टि का होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2004 में निर्गत शासनादेश तथा पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा जारी परिपत्र में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि गैंगचार्ट तैयार किये जाने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक स्तर पर संयुक्त बैठक कर अभियुक्तगण की गतिविधियों, आपराधिक इतिहास, समाज पर प्रभाव तथा गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के औचित्य पर समुचित विचार–विमर्श किया जाना आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि गैंगस्टर एक्ट का प्रयोग यांत्रिक अथवा औपचारिक रूप से न हो। गैंगचार्ट **प्रदर्श क–3** को जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा दिनांक 13–11–2017 को अनुमोदित किया गया, जबकि क्षेत्राधिकारी, नगर, पुलिस अधीक्षक, नगर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 09–11–2017 संस्तुति करते हुए अग्रसारित कर गैंगचार्ट प्रेषित किया गया। उक्त् गैंगचार्ट पर जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ को मोहर अंकित है, किन्तु अन्य क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की कोई मोहर अंकित नहीं है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित थानाध्यक्ष ने अभियुक्तगण द्वारा जनता में अपने आचरण के द्वारा भय व आतंक फैलाने का उल्लेख गैंगचार्ट में किया है, किन्तु अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट प्रदर्श क –3 में उल्लिखित तीनों मुकदमों में पैसे के लेनदेन के तथ्य हैं। यदि अभियुक्तगण धनराशि हडपने का अपराध कर रहे हैं तो उनका उद्देश्य भय व आतंक फैलाना नहीं हो सकता, अपितु ऐसी स्थिति में आर्थिक लाभ ही मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है, किन्तु अपराध से अभियुक्तगण द्वारा अर्जित किसी सम्पत्ति का कोई उल्लेख गैंगचार्ट प्रदर्श क 3 में नहीं है और इस तथ्य को गैंगचार्ट अनुमोदित करते समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं देखा गया। गैंगचार्ट प्रदर्श क 3 में विद्यमान उपरोक्त विसंगतियों पर विचार करने से यह सिद्ध होता है कि गैंगचार्ट का अनुमोदन मात्र एक औपचारिक कार्यवाही के रूप में किया गया तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र एवं वास्तविक रूप से मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया जिस कारण गैंग चार्ट अपने आप में दूषित है।

अपराध का साबित होना या ना होना

36. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के परीक्षण से यह सिद्ध है कि प्रस्तुत प्रकरण में तैयार किया गया गैंगचार्ट विधिसम्मत प्रक्रिया एवं अपेक्षित मस्तिष्कीय संतुष्टि के अनुरूप तैयार एवं अनुमोदित नहीं किया गया। गैंगचार्ट अनुमोदन की प्रक्रिया में आवश्यक सावधानियों एवं शासनादेशों में निहित दिशा –निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं हुआ, अत: प्रस्तुत प्रकरण में गैंगचार्ट दूषित है।

37. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण पी०डब्लू०–1 सुभाष चन्द्र शर्मा ने ऋण का लेन–देन केवल सिद्धगोपाल से होना तथा पी०डब्लू०–3 वैभव शर्मा ने संदीप वर्मा से कोई लेन–देन और घटना के समय उसकी उपस्थिति न होना स्वीकार किया। तीसरे आधार मुकदमे के वादी छत्रपाल सिंह यादव को परीक्षित नहीं किया गया। तीनों विवाद मुख्यतः ऋण एवं गिरवी रखे जेवर की वापसी से उत्पन्न विवाद से सम्बन्धित हैं, और समाज की अपेक्षा व्यक्तिगत स्तर तक ही सीमित है क्योंकि अभियोजन द्वारा न तो किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, चल अथवा अचल परिसंपत्ति, बैंक खाते, धनराशि अथवा अन्य आर्थिक संसाधनों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही यह स्थापित किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा कथित अपराधों से किसी प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया था।। पी०डब्लू० –2, पी०डब्लू०–4 एवं पी०डब्लू०–5 ने केवल मुकदमे की कायमी, गैंगचार्ट और विवेचना की औपचारिक कार्यवाही सिद्ध की है।

38. अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य में प्रस्तुत निर्णय की सत्यप्रति प्रदर्श ख –4 के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि गैंगचार्ट में दर्शित आधार मुकदमा अ०सं० –572/2016 धारा 406, 323, 504, 506 भा०दं०सं० से सम्बन्धित फौजदारी वाद संख्या–8745/2016 राज्य बनाम संदीप वर्मा में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2023 द्वारा अभियुक्त संदीप वर्मा को दोषमुक्त किया गया है तथा निर्णय की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श ख–5 के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि गैंगचार्ट में दर्शित आधार मुकदमा अ०सं० –772/2016 धारा 406, 420, 504, 506 भा०दं०सं० से सम्बन्धित फौजदारी वाद संख्या–1292/2016 राज्य बनाम संदीप वर्मा में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2023 द्वारा अभियुक्त संदीप वर्मा को दोषमुक्त किया गया है और निर्णय की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श ख–6 के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि गैंगचार्ट में दर्शित आधार मुकदमा अ०सं० –506/2017 धारा–307/34, 406, 504, 506 भा०दं०सं० से सम्बन्धित सत्रवाद परीक्षण संख्या–1043/2022 राज्य बनाम संदीप वर्मा में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2023 के द्वारा अभियुक्त संदीप वर्मा को दोषमुक्त किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त गैंगचार्ट में दर्शित सभी आधार अभियोगों में दोषमुक्त किया जा चुका है।

39. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **फरहाना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2024** INSC

118 में यह प्रतिपादित किया है कि गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही का आधार उसके गैंगचार्ट में सम्मिलित मूल अभियोग होते हैं। यदि अभियुक्त उसमें दोषमुक्त हो जाता है, तो उस आधार अभियोग पर आधारित गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही का विधिक आधार भी समाप्त हो जाता है।

40. उपरोक्त समस्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य यह सिद्ध नहीं करते कि अभियुक्त संदीप वर्मा ने सिद्धगोपाल वर्मा के साथ कोई गिरोह गठित किया था, वह संगठित गिरोह के रूप में कार्यरत था अथवा उसने गिरोहबन्द होकर धारा 2(ख) गैंगस्टर्स अधिनियम में वर्णित समाज–विरोधी क्रियाकलाप किया था। अतः उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 सपठित धारा 2 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आवश्यक तत्व युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हुए हैं और अभियुक्त संदीप वर्मा उक्त आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

41. अभियुक्त संदीप वर्मा को विशेष वाद संख्या –61/2018, मुकदमा अपराध संख्या–694/2017, थाना कोतवाली, जिला बदायूँ, अन्तर्गत धारा 3 सपठित धारा 2 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

42. अभियुक्त संदीप वर्मा जमानत पर है तथा न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त संदीप वर्मा के द्वारा विचारण के दौरान दाखिल किये गये बंधपत्र निरस्त होकर जामिनदारो को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

43. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त संदीप वर्मा धारा– 437 (ए) दं.प्र.सं के अंन्तर्गत अंकन 20000/– रूपये का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं इसी धनराशि का प्रतिभू पत्र अन्दर सप्ताह प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जो अगले 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगें।

दिनांक– 20–07–2026

(ऋषि कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट),
न्यायालय संख्या–6, बदायूं।

44. आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एंव हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया ।

दिनांक–20–07–2026

(ऋषि कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट),
न्यायालय संख्या–6, बदायूं।

RISHI KUMAR (UP6364)

Digitally signed by RISHI KUMAR
Date: 2026.07.20 1[illegible]:37:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court